


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1551 /  
II-18-5/1913

जबलपुर, दिनांक 28/04/2025

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 29.03.2025 तक कार्यालयीन निर्धारित समय सायं 5.00 बजे से आधा घण्टा पहले अर्थात् सायं 4.30 बजे कार्यालय छोड़ने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इससे उच्च न्यायालय के कार्य में कोई प्रभाव न पड़े तथा कर्मचारी यह प्रयास करें कि समस्त कार्य प्रतिदिन पूर्ण करें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार  
  
(धरमिन्दर सिंह)  
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक A/1552 /  
II-18-5/1913

जबलपुर, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशा./न्या 1 एवं 2/डी.ई./व्ही./आई.एल./ लेबर ज्यूडिशरी /कार्य एवं अधोसंरचना एवं परीक्षा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.सी.एस.ए.) की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम.) समस्त..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) समस्त ....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, समस्त..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को निर्देशित किया जाता है कि उनकी शाखा में पदस्थ मुस्लिम कर्मचारियों से रोजा रखने के आधार पर कार्यालय छोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त करें।
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर एवं परीक्षा महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
12. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)